2025:CGHC:55012–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील(वैवाहिक)क्रमांक 280/2024

ज्योति वरकड़े, पति गोविंद शाह, आयु 35 वर्ष, निवासी सी.आई.एस.एफ. कॉलोनी, उज्वल नगर, सीपत, थाना सीपत, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

(आवेदक)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

गोविंद शाह, पिता श्री कोमल शाह, आयु लगभग 37 वर्ष,व्यवसाय– आरक्षक, जी.डी.सी.आई.एस.एफ., भिलाई स्टील प्लांट, निवासी ग्राम खजरी, ग्रीन सिटी के पास, थाना छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, पिन 480001

(आवेदक)

...प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री अब्दुल मोइन खान, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री गौरव सिंघल, अधिवक्ता।

खंडपीठ:–

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल और

माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्तिगण

बोर्ड पर निर्णय

(12/11/2025)

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल,

1. वर्तमान अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अन्तवर्ती आवेदन क्रमांक 1/2024 पर सुनवाई की गई।

2. सम्यक् विचारोपरांत तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात, अन्तवर्ती आवेदन क्रमांक 1/2024 को स्वीकार किया जाता है और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को एतद्द्वारा क्षमा किया जाता है।

3. अपीलार्थी ने यहाँ कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अधीन यह अपील प्रस्तुत कर द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 735–ए/2023 में दिनांक 22–09–2023 को पारित निर्णय एवं डिक्री की वैधता,विधिमान्यता और शुद्धता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा कुटुम्ब न्यायालय ने आपसी सहमति से लिए गए विवाह–विच्छेद के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 ख के अधीन विवाह का विघटन कर दिया है।

4. जब प्रकरण को सुनवाई के लिए लिया गया, तो प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव सिंघल ने तर्क किया कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(2) में निहित वर्जन के दृष्टिगत यह अपील पोषणीय नहीं है, क्योंकि धारा 19(2) स्पष्ट रूप से पक्षकारों की सहमति से कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील को वर्जित करती है। वर्तमान प्रकरण में, उभय पक्षकारों ने आवेदन प्रस्तुत किया है और दोनों ने आपसी सहमति से विवाह–विच्छेद की डिक्री के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं।

5. उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अब्दुल मोइन खान ने तर्क किया कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के कण्डिका 2 के अनुसार, प्रत्यर्थी का यह दायित्व था कि वह अपीलार्थी को उनके पुत्र से मिलने दे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने दे, जिसकी अनुमति नहीं दी जा रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने इस अपील की पोषणीयता के प्रश्न पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

7. यह स्वीकृत तथ्य है कि विवाह–विच्छेद का आवेदन हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 ख अर्थात आपसी सहमति से विवाह–विच्छेद के अधीन प्रस्तुत किया गया था, जिसे कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दिनांक 22–09–2023 को स्वीकार किया गया था।

8. सुविधा हेतु, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(2) को यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है: –

> **"19. अपील**– (1) xxx xxx xxx

(2) कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति से पारित किसी डिक्री या आदेश की या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश की कोई अपील नहीं होगी:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ के पूर्व किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी अपील या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश को लागू नहीं होगी ।"

9. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(2) के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि इसकी शुरुआत इस प्रावधान से होती है कि पक्षकारों की सहमति से कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित किसी भी डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी और वर्तमान प्रकरण में, यह तथ्य निर्विवादित है कि कुटुम्ब न्यायालय द्वारा विवाह–विच्छेद की डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 ख के अधीन आपसी सहमति के आधार पर पारित की गई थी। अतः, यह अपील पोषणीय नहीं होगी, क्योंकि उभय पक्षकार कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे और उन्होंने संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। अपीलार्थी का यह प्रकरण नहीं है कि उक्त डिक्री कपट से प्राप्त की गई थी, सिवाय इस तर्क के कि प्रत्यर्थी द्वारा आक्षेपित निर्णय के कण्डिका 2 में निहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः,यह अपील पोषणीय नही है तदनुसार खारिज किए जाने योग्य है। यद्यपि,अपीलार्थी आक्षेपित निर्णय के कण्डिका 2 के अनुपालन हेतु कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, अपीलार्थी के पक्ष में सुरक्षित रखी गई उक्त स्वतंत्रता के अधीन रहते हुए, इस अपील को पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–	सही/–
(संजय के. अग्रवाल)	(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**